न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 10/2025 बउनवानी मोहर सिंह गुर्जर **बनाम** लो.सू.अधि.एवं उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी पुत्र श्री शिवजी लाल गुर्जर, ग्राम टोटोलाई पोस्ट बूचोलाई तह0 तलावडा

GCMS No-2025/36

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज	
27.2.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 09.12.2024 को लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर *"कैम्प बूचोलाई मे किये गये आवंटन आदेश दिनांक 22.6.1989 एवं 5.1994 के संबंध मे 5 बिन्दुओ की सूचना"* उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकःआरटीआई/2025/384 दिनांक 27.2.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र दिनांक 09.12.2024 में चाही गयी सूचना के संबंध मे अपीलान्ट को उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के पत्रांक/आरटीआई/2024/383 दिनांक 26.2.2024 से अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है कि बिन्दु संख्या 1 से संबंधित सूचना का रिकार्ड दिनांक 13.11.1991 मे जिला अभिलेखागार मे जमा करवाया जा चुका है रिकार्ड सूची की प्रमाणित प्रति अपीलान्ट को निःशुल्क उपलब्ध करवायी जा चुकी है। बिन्दु संख्या 2,3,4 से संबंधित रिकार्ड कार्यालय मे उपलब्ध नही होने के कारण दिया जाना सम्भव नही होने के संबंध मे अपीलान्ट को लिखा जा चुका है। बिन्दु संख्या 5 की सूचना बिन्दु संख्या 1 की सूचना मे ही समाहित है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 9.12.2024 को प्रेषित प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचना के संबंध में यद्यपि लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के पत्रांक 353 दिनांक 26.2.2025 से अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है किन्तु अधिनियम की तय समय सीमा के उपरान्त लगभग 1 माह 17 दिवस बाद वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया है जो अधिनियम के प्रति लापरववाही दर्शाता है। अतः लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य मे उक्त अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों पर व्यक्तिगत ध्यान देकर नियत समयावधि मे निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (शुभम चौधरी) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 16:06:40 IST
Reason: SelfAttested